सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 15, सोमवार, शाके 1948- जुलाई 06, 2026 Asadha 15, Monday, Saka 1948- July 06, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 01, 2026

संख्या प.12(08)**नविवि/मण्डली खुर्द(पाली)/**2026-17352 **:-**राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार**,** एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास**,** पाली द्वारा राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नं. 200 रकबा 2.78442 एवं खसरा नं. 201 रकबा 0.0728 कुल रकबा 2.8570 हैक्टेयर में "श्री राम विहार आवासीय योजना" बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है:-

उत्तर **:-** खसरा नं. 197, 90/6, 90/7, 90/8 व 90/9 को बाहर छोड़ते हुए।

पूर्वः- खसरा नं. 198/1 व 199/2 को बाहर छोड़ते हुए।

दक्षिणः- खसरा नं. 199/3 को बाहर छोड़ते हुए।

पश्चिम:- खसरा नं. 200/2 एवं 200/1 को बाहर छोड़ते हुए।

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास**,** पाली के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।